

## अध्याय III

### आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

**3.1** आंतरिक नियंत्रण एक एकीकृत प्रक्रिया है जो एक इकाई के प्रबंधन और कर्मियों से प्रभावित होती है और जोखिमों से निपटने के लिए तैयार की जाती है और इकाई के उद्देश्य को प्राप्त करने में यथोचित आश्वासन प्रदान करती है, अग्रलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किये गये हैं:

- सुव्यवस्थित, नैतिक, आर्थिक, कुशल और प्रभावी प्रचालन कार्यान्वित करना;
- जवाबदेही दायित्वों को पूरा करना;
- लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन;
- हानि, दुरुपयोग और नुकसान के प्रति संसाधनों की सुरक्षा<sup>58</sup>

**3.2** रिकार्डों की जांच के दौरान, हमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा और निर्धारित मैनुअल में कमियां देखी जो यह दर्शाते हैं कि विभाग को पद्धतियों और प्रक्रियाओं की सटीकता पर ध्यान देना चाहिए।<sup>59</sup> हमने 20 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को ये आपत्तियां प्रेषित की, जिसमें ₹ 28.58 करोड़ का राजस्व था। मंत्रालय ने सभी ड्राफ्ट पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को अंतर्ग्रहित राजस्व तक स्वीकार कर लिया। हमने निम्नलिखित पैराग्राफ में विभाग द्वारा अनुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की विस्तृत चर्चा की है:

#### निर्धारितियों की आंतरिक लेखापरीक्षा

**3.3** विवरणियों की संवीक्षा, लेखापरीक्षा और प्रति अपवंचन विभाग द्वारा अपनाई गई अनुपालन सत्यापन पद्धति के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। लेखापरीक्षा द्वारा अनुपालन सत्यापन निर्धारित नियमों और विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर प्राप्त करने के लिए निर्धारितियों के जोखिम मानदंड और रिकार्डों की संवीक्षा पर आधारित निर्धारित इकाई के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाकर निर्धारित परिसरों में लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा निर्धारितियों के परिसरों में रिकार्डों तक पहुँचने के लिए सेवा कर नियमावली, 1994 के अंतर्गत सशक्त है। प्रत्येक आयुक्तालय के अपने आंतरिक अनुभाग में एक लेखापरीक्षा सेल है जिसमें सहायक/उप आयुक्त और लेखापरीक्षक हैं और अपर/संयुक्त आयुक्त इसके प्रधान होते हैं। लेखापरीक्षा सेल की जाने वाली लेखा परीक्षाओं की योजना, निगरानी और मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा दलों में शामिल पर्यवेक्षक और जांच

<sup>58</sup> इंटोसाई जीओवी 9100- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आंतरिक नियंत्रण मानकों हेतु दिशा निर्देश।

<sup>59</sup> सेवाकर लेखापरीक्षा मैनुअल, 2011।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

कर्ताओं द्वारा लेखापरीक्षा योजना और सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल 2011 में बताई गई प्रक्रियाओं के अनुसार निर्धारित परिस्तरों में लेखापरीक्षा की जाती है।

**3.4** हम निम्नलिखित दो श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत निर्धारितियों के नमूने की लेखापरीक्षा द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा अपने अधीन रखने लेखापरीक्षा गुणवत्ता के साथ-साथ निर्धारितियों की कवरेज की सटीकता की जांच करने का प्रयास करते हैं जैसे क) लेखापरीक्षा के अधीन परंतु सीईआरए द्वारा लेखापरीक्षा के समय पर विभागीय लेखापरीक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया और ख) विभागीय लेखापरीक्षा दल द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित। हमने निहितार्थ सेवा कर से जुड़े ₹ 26.02 करोड़ के मामले पाये जिनकी अग्रलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन आपत्तियों को 17 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों द्वारा मंत्रालय को हमारे द्वारा प्रेषित कर दिया गया है, मंत्रालय ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को अंतर्ग्रहित राजस्व तक स्वीकार कर लिया है।

**3.5** आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही कवर किये गये चयनित निर्धारित परिस्तरों में रिकॉर्डों की सीईआरए की जांच प्रक्रिया के दौरान, हमने कुछ ऐसे मामले देखे जहां आयुक्तालय के लेखापरीक्षा दलों ने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामलों को दर्शाने में चूक की है।

### **3.5.1 सेवाओं के कर योग्य मूल्य की गलत गणना का पता न लगाना**

सेवा कर (मूल्यों का निर्धारण) नियमावली, 2006 का नियम 5(1) यह दर्शाता है कि जहां कर योग्य सेवा प्रदान करने के दौरान सेवा प्रदाता द्वारा व्यय किया गया कोई खर्च या लागत है, ऐसे सभी व्यय और लागत प्रदान की गई कर योग्य सेवा हेतु ध्यान में रखे जाएंगे और उक्त सेवा पर सेवा कर प्रभार के उद्देश्य हेतु मूल्य में शामिल की जाएगी।

मै. लिन्फोक्स लोजिस्टिक्स (इंडिया) प्राई. लिमि. एक निर्धारित, लुधियाना आयुक्तालय में सेवा प्रदाता के रूप में केंद्रीय रूप से पंजीकृत था जो "निपटान और अग्रेषण एजेंसी सेवा" की श्रेणी के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने में शामिल था। ऐसी सेवाओं के संबंध में मै. हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमि. से प्राप्त राशि पर सेवा कर अदा करते हुए, निर्धारित ने उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए बिजली, डीजल जेनसेट, मोबाईल प्रभार, आइटी यंत्र व्यय, लोड प्रभार और मल्टी-ड्रॉप प्रभार आदि जैसे खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़ दिया। कुल राशि में इन प्रभारों के न जोड़े जाने के फलस्वरूप अगस्त 2009 से अप्रैल 2011 की अवधि हेतु ₹ 17.64 लाख राशि के सेवा कर की कम अदायगी हुई।

*जब हमने इसे इंगित किया (जून 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2014) को स्वीकार किया और सूचित किया कि निर्धारित ने ₹ 2.82 लाख ब्याज के साथ ₹ 17.64 लाख जमा किये थे। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने सूचित किया कि सीईआरए द्वारा*

की गई कवरेज 2010-11 के दौरान की थी जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2007 से मार्च 2010 की अवधि को कवर किया था। इससे विभिन्न परिणाम/निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। निर्धारिती की ओर से गलती अगस्त 2009 से शुरू हुई थी, नवम्बर 2010 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा अपनी लेखापरीक्षा के दौरान इस गलती का पता लगा लिया जाना चाहिए था।

### 3.5.2 प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत कम भुगतान का पता न लगाना

सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 2(1)(डी)(iv) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व लागू) की धारा 66ए उल्लेख करती है कि जहां सेवा भारत में अपना कार्यालय रखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उस सेवा प्रदाता से प्राप्त की जाती है जिसका कार्यालय भारत में नहीं है, तो सेवा कर ऐसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा देय होगा। अधिसूचना सं. 19/2008-एसटी दिनांक 10 मई 2008 दर्शाती है कि किसी संबद्ध उद्यम के साथ कर योग्य सेवा के लेन-देन के मामले में, कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप में प्राप्त कोई भुगतान किसी खाते में क्रेडिट या डेबिट, जैसा भी मामला हो, कोई राशि शामिल होगी, चाहे सेवा कर भुगतान के लिए उत्तरदायी किसी व्यक्ति के बही खातों में इसे 'उंचंत खाता' या अन्य किसी नाम से दिया जाये। इसके अतिरिक्त, सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुयूल, 2003 के अध्याय 8 (अनुबंध ई का पैराग्राफ 11) यह दर्शाता है कि प्रतिलोम प्रभार तंत्र के मामले में, लेखापरीक्षा दल को यह सुनिश्चित करना था कि निर्धारिती द्वारा तकनीकी सहायता या कंसलटेंसी या करयोग्य घटना के किसी भाग जैसे कारकों का कोई अग्राह्य अपवर्जन नहीं किया गया।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तलय में, इलैक्ट्रिक मीटर निर्माण से संबंधित मै. लैंडिस+जीवाईआर "बौद्धिक संपत्ति सेवा" की सेवा कर श्रेणी के अंतर्गत कवर की जाने वाली राशि तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए स्विटजरलैंड में अपनी स्वामित्व कंपनी के साथ एक करार किया। निर्धारिती ने अक्टूबर 2004 से दिसम्बर 2009 तक ₹ 1055.23 लाख की रायल्टी अदा की। निर्धारिती ₹ 122.87 लाख का सेवा कर अदा करना था जिसमें से केवल ₹ 21.44 लाख अदा किये गये। इसलिए, ₹ 101.43 लाख राशि निर्धारिती से ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने इसे (अगस्त 2010) इंगित किया, आयुक्तलय ने आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (दिसम्बर 2012) कि निर्धारिती को जारी किया गया अक्टूबर 2004 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए ₹ 130.28 लाख का कारण बताओ नोटिस ब्याज और जुर्माने की समान राशि के साथ अधिनिर्णय में पुष्टि की गई।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने मार्च 2010 में इकाई की लेखापरीक्षा की। हालांकि, यह सेवा कर के कम भुगतान को दूढ़ने में विफल रही।

*लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा इकाई की लेखापरीक्षा मार्च 2010 में की गई थी, न कि सेवा कर आयुक्तालय, कोलकाता द्वारा। इसके अतिरिक्त, सेवा कर आयुक्तालय, कोलकाता में निर्धारितियों की कुल संख्या काफी अधिक है और आंतरिक लेखापरीक्षा में नियुक्त अधिकारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों को निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुसार सभी प्रयास करने और लेखापरीक्षा करने के लिए सचेत किया गया है।*

मंत्रालय का उत्तर विभाग के श्रमबल संसाधनों के अधिकतम उपयोग की आवश्यकता की पुष्टि करता है। यहां तक कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क मैनुअल प्रावधानों में अपेक्षित है कि यदि अन्य आयुक्तालयों के अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी आवश्यक है तो लेखापरीक्षा समूह अपने आयुक्त द्वारा संबंधित आयुक्तालय को सूचना भेजने के लिए उत्तरदायी होगा।<sup>60</sup> इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के आंतरिक लेखापरीक्षा दल को निर्धारित परिस्तर में लेखापरीक्षा के दौरान भी सेवा कर संबंधित पहलुओं को कवर करना चाहिए।

### 3.5.3 कर योग्य सेवाओं के मूल्य में संघटन अग्रिम न जोड़ने को पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(3), यथा संशोधित दर्शाती है कि कर योग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि में ऐसी सेवा के प्रावधान से पूर्व, दौरान या बाद कर योग्य सेवा के लिए प्राप्त की गई कोई भी राशि शामिल होगी। सेवा कर लेखापरीक्षा मैनुअल के प्रावधानों से संबंधित डेस्क समीक्षा उल्लिखित करती है कि लेखापरीक्षक ही इस जांच के लिए उत्तरदायी है कि क्या निर्धारित ने अग्रिम के रूप में सेवा प्रभार प्राप्त किये और सेवाएं उपलब्ध करवाई परंतु बिल बाद की तिथि में जारी किया ताकि वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सके तथा सेवा कर के भुगतान में देरी की जा सके।

कालीकट आयुक्तालय में वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा उपलब्ध कराने वाले एक निर्धारित ने. टेक्नोस्किल ऐल्यूमिनीयम सेंटर ने लारसेन और टर्बो, चेन्नै के लिए लागू एक कार्य के संविदा मूल्य के 20 प्रतिशत के रूप में अप्रैल 2009 में ₹ 1.79 करोड़ का संघटन अग्रिम प्राप्त किया। बाद के स्तर भुगतान यथापुनपात आधार पर संघटन अग्रिम को समायोजित करने के बाद निर्धारित ने को किये गये और अप्रैल 2010 तक अग्रिम पूरी तरह समायोजित कर दिया गया। निर्धारित ने स्तर भुगतान से यथानुपात आधार पर समायोजित अग्रिम भाग पर सेवा कर अदा नहीं किया जबकि वह बिल राशि से संघटन अग्रिम

<sup>60</sup> केंद्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा मैनुअल, 2008, पैराग्राफ 12.2.2।

समायोजित करवाने के बाद प्राप्त राशि के लिए यथानुपात कर अदा कर रहा था। इसके परिणाम स्वरूप गैर भुगतान सेवा कर राशि ₹ 18.45 लाख हो गई। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारिती (दिसम्बर 2010) की लेखापरीक्षा की गई, यह पता लगाने में विफल रही कि सेवा कर स्तर भुगतान से यथानुपात आधार पर समायोजित अग्रिम भाग के लिए सेवा कर अदा नहीं किया गया था।

*जब हमने इसे इंगित किया (जनवरी 2012), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2014) स्वीकार की और कहा कि निर्धारिती को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि उक्त इकाई की लेखापरीक्षा करने वाले संबंधित अधिकारियों को चूक के कारणों की व्याख्या करने के निर्देश दे दिये हैं। इसके अतिरिक्त, सभी आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को लेखापरीक्षा के दौरान गलतियां उजागर करने के लिए अधिक गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिये गये ताकि ऐसी कमियों को इंगित करने के लिए अन्य एजेंसियों को अवसर न मिले।*

### 3.5.4 सेवा कर के कम भुगतान का पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67(2) यथा संशोधित के अनुसार, जहां एक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए या उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि में देय सेवा कर शामिल होती है, देय कर की राशि के साथ ऐसी कर योग्य सेवा का मूल्य प्रभारित सकल राशि के समान है। सीबीईसी ने दिनांक 23 अगस्त 2007 के परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया कि कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहे केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित सभी प्रदाता सेवा कर अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं जब तक कि ऐसे प्राधिकारियों की सेवाएं किसी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक या वैधानिक नहीं हैं। महानिदेशक निर्माण, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने जनवरी 2009 में स्पष्ट किया कि संबंधित विभाग से मांग पर ठेकेदार द्वारा सेवा कर अदा किया जाना है; प्रभारी इंजीनियर संतुष्ट होने के बाद कि इसे ठेकेदार द्वारा वास्तविक रूप से और उचित ढंग से अदा किया गया है, प्रतिपूर्ति करेगा।<sup>61</sup>

कालीकट आयुक्तालय में एक सेवा कर निर्धारिती में, टैक्नोस्विकल एलुमिनियम सेंटर वाणिज्यिक निर्माण सेवाएं और कार्य ठेका सेवाएं प्रदान करता है। निर्धारिती ने सीपीडब्ल्यू से प्राप्त किए ₹ 555.43 लाख पर ₹ 18.21 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था। यह भुगतान सीपीडब्ल्यूडी के निक्षेप कार्य अर्थात् बेंगलूर में स्पाइसेस ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. (एसटीसीएल लि.) और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एसटीसीआईएल) के नवनिर्मित भवनों में स्पाइडर ग्लेजिंग फेकेड और ग्लास पार्टिशन उपलब्ध कराने और लगाने के लिए प्राप्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने वाणिज्यिक निर्माण सेवाएं

<sup>61</sup> ओएम एम सं. डीजीडब्ल्यू/कॉन/241 दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

उपलब्ध कराने के लिए मैं एलएण्डटी टैक्निकल सेन्टर-III, चेन्नई, मैं एलएण्डटी मैडिकल इक्यूपमेंट बिल्डिंग, मैसूर, मैं अपोलो बिल्ड-टैक इंडिया प्रा. लि., कोजीकोड और मैं. शोपर्स शॉप शोरूम, हैदराबाद से प्राप्त किए भुगतान के लिए 2009-10 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹ 12.78 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

चूंकि मैं. एसटीसीएल और मैं. एसटीसीआईएल वाणिज्यिक कार्यों में संलिप्त सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम थे और सीपीडब्ल्यूडी निक्षेप कार्य के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था, प्रदान की जा रही सेवाएं किसी कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत न तो अनिवार्य थीं और न ही सांविधिक तथा इसलिए इस पर सेवा कर लागू होगा। तथापि, निर्धारिती ने महानिदेशक निर्माण कार्य, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी कार्यालय जापन में बताए अनुसार सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

*हमारे द्वारा बताए जाने के बाद (जनवरी 2012) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2014) और कहा कि निर्धारिती को कारण बताओ जापन जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने फिर बताया कि संबंधित अधिकारियों, जिन्होंने उक्त इकाईयां की लेखापरीक्षा की थी, को चूक के लिए कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों को कमियों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के दौरान दृढ़ प्रयास करने का निर्देश दिया गया है जिससे कि ऐसी चूको को इंगित करने वाली दूसरी एजेंसियों को अवसर न दिया जाए।*

### 3.5.5 सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न लगना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(1) के अनुसार सेनवेट क्रेडिट को इनपुट की ऐसी मात्रा पर अनुमत न किया जाए जिसे छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधानों के लिए उपयोग किया गया है। वित्त अधिनियम की धारा 65 (25बी) के अनुसार (1.7.2012 से पहले लागू) वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण सेवा में हवाईअड्डों के संबंध में उपलब्ध कराई गई सेवाएं शामिल नहीं हैं इसलिए ये छूट प्राप्त सेवाएं होंगी। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क उन सूचीबद्ध शुल्कों में से एक नहीं है जिनपर नियम 3 के माध्यम से सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(vii)(क) परन्तुक के अनुसार करयोग्य सेवाओं का प्रदाता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(5) के अन्तर्गत उदग्रहणयोग्य अतिरिक्त शुल्क का क्रेडिट नहीं लेगा।

कालीकट आयुक्तालय में एक सेवा कर निर्धारिती मैं. टैक्नोस्किल एलुमिनियम सेन्टर, पैरिथालमन्ना ने 2008-10 की अवधि के दौरान ₹ 8.97 लाख के सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर और सीमा शुल्क पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर एवं अतिरिक्त शुल्क का अनुचित क्रेडिट लिया। निर्धारिती ने कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भवन निर्माण से संबंधित छूट प्राप्त कार्य हेतु पूर्ण रूप से उपयोग किए गए इनपुटों के संबंध में ₹ 11.04 लाख का

सेनवेट क्रेडिट भी प्राप्त किया। कुल ₹ 20.01 लाख क्रेडिट की प्राप्ति उपरोक्त दर्शाए गए प्रावधानों के विरुद्ध थी।

हमारे द्वारा बताए जाने के बाद (जनवरी 2012) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2014) और कहा कि निर्धारिती को कारण बताओ जापन जारी कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि संबंधित अधिकारियों, जिन्होंने उक्त इकाईयां की लेखापरीक्षा की थी, को चूक के लिए कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों को कमियों का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के दौरान दृढ़ प्रयास करने का निर्देश दिया गया है जिससे कि ऐसी चूको को इंगित करने वाली दूसरी एजेंसियों को अवसर न दिया जाए।

### 3.5.6 इनपुट सेवा क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति का पता न लगना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 2(एल) 'इनपुट सेवा' को परिभाषित करता है ऐसी कोई सेवा जो,

- (i) आऊटपुट सेवा प्रदान करने के लिए कर योग्य सेवा प्रदाता द्वारा प्रयोग की गई; या
- (ii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तैयार उत्पादों के विनिर्माण और निकासी स्थल तक तैयार उत्पादों की निकासी में या के संबंध में विनिर्माता द्वारा प्रयोग की गई थी।

और माल के विनिर्माण हेतु लेखांकन, वित्तपोषण, क्रेडिट रेटिंग, शेयर पंजीकरण, सुरक्षा और इनपुटों का इनवाई हस्तांतरण आदि जैसे व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।

सेसटेट ने अन्य बातों के साथ-साथ मेट्रो शूज प्रा. लि. बनाम आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मुम्बई-1 और ओरियन एप्लायन्सेज लिमिटेड बनाम आयुक्त सेवा कर, अहमदाबाद मामले में कहा कि इनपुट सेवाओं के क्रेडिट, जो प्रत्यक्ष रूप से रोप्य या व्यापारिक गतिविधि से संबंधित है, नहीं लिए जाने चाहिए।<sup>62</sup> इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 बताती है कि जहां कोई सेवा कर या उसके भाग का निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है वहां कर भुगतान के दायी व्यक्ति को अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में व्यवसाय सहायक सेवा और पोर्ट सेवा उपलब्ध कराने वाली मै. रोमेट कमोडिटिज़ प्राईवेट लिमिटेड लौह अयस्क फाइन्स की क्रय-विक्रय गतिविधियों में भी लगी हुई थी। निर्धारिती ने अपने व्यापार माल (लौह अयस्क फाइन्स) के

<sup>62</sup> क्रमशः 2008 (10) एस.टी.आर 382 (ट्राय-मुम्बई) और 2010 (19) एस.टी.आर 205 (ट्राय-अहमदाबाद)।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

आवागमन के लिए सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में माल परिवहन एजेंसी के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान किया। तत्पश्चात निर्धारिती ने इस प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट लिया और आऊटपुट सेवाओं के लिए अपनी सेवा कर देयता के निर्वहन हेतु इसका उपयोग किया जोकि उपरोक्त दर्शाए गए सांविधिक प्रावधानों और कानून के मामलों का उल्लंघन है। इसलिए, अप्रैल 2007 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान लिया गया ₹ 223.88 लाख (उपकर सहित) का अनियमित क्रेडिट लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2010), तो आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2011)। इसके बाद आयुक्तालय ने सूचना दी (अगस्त 2012) कि इसने अप्रैल 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए लागू ब्याज और शास्ति सहित ₹ 265.97 लाख (उपकर सहित) के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था।

यद्यपि, आंतरिक लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2009 में निर्धारिती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की थी तथापि इसने सेनवेट क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति के बारे में नहीं बताया। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 तक समान चूक जारी रही।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते समय कहा (फरवरी 2014) कि इकाई की अधिकार क्षेत्र केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय की आंतरिक लेखापरीक्षा दल के अधिकारियों द्वारा नवम्बर 2009 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा के साथ सेवा कर लेखापरीक्षा भी की गई थी। भविष्य में इस प्रकार की विफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आयुक्तालय की प्राधिकृत शाखाओं में प्रचारित किया गया है और अन्यो को भी उचित रूप से संवेदी बनाया गया है।

### 3.5.7 प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत सेवा कर के गैर भुगतान का पता न चलना

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 2(1)(डी)(iv) के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ए (1.7.2012 से पहले लागू) बताती है कि सेवा कर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भारत में (और भारत के बाहर से उपलब्ध कराई गई) प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर के भुगतान के लिए दायी था। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 6(1) की निम्नलिखित व्याख्या बताती है कि जहां संव्यवहार सहयोगी उद्यमों के साथ होता है ऐसे मामले में, करयोग्य सेवा के मूल्य के प्रति प्राप्त किसी भुगतान में किसी खाता में चाहे सेवा कर भुगतान के दायी व्यक्ति की खाता बही में उसे 'उंचत खाता' या किसी दूसरे नाम से पुकारा जाए में क्रेडिट की गई या डेबिट की गई राशि शामिल होगी।<sup>63</sup>

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में इंजीनियर परामर्श सेवा, प्रबंधन परामर्शदाता सेवा, बौद्धिक सम्पदा अधिकार और ट्रेडमार्क सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले मै. फ्लेक्ट (इंडिया)

<sup>63</sup> अधिसूचना संख्या 19/2008-एसटी दिनांक 10 मई 2008 के माध्यम से जोड़ा गया।



लिमिटेड ने भारत के बाहर स्थित अपने सहयोगी उद्यमों से उक्त सेवाएं प्राप्त की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे बताया कि निर्धारिती ने 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिए अपने सहयोगी उद्यमों से प्राप्त सेवाओं के प्रति अपने लेखों में 'अन्य व्यय' शीर्ष के तहत ट्रेड मार्क फीस के रूप में ₹ 97.43 लाख, बौद्धिक सम्पदा फीस के रूप में ₹ 137.42 लाख और प्रबंधन फीस के रूप में ₹ 193.19 लाख निर्धारित किए थे। अतः निर्धारिती ने उपरोक्त दर्शाए गए सांविधिक प्रावधानों के संबंध में सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में अपने लेखों में इस प्रकार निर्धारित राशि पर सेवा कर देना चाहिए। इसमें विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिए ₹ 44.08 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जोकि लागू ब्याज सहित वसूली योग्य था।

हमारे द्वारा बताए जाने के बाद (फरवरी 2011), आयुक्तालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया (अप्रैल 2012)। आयुक्तालय ने सूचना दी (मई 2012) कि ₹ 204.44 लाख 2007-08 से 2010-11 के अवधि के लिए ब्याज सहित सेवा कर (उपकर सहित) के आधार पर वसूल किए गए थे।

यद्यपि, एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने जनवरी 2010 में लेखापरीक्षा की थी तथापि गलती का पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप ऐसी चूक अप्रैल 2011 तक जारी रही।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते समय (फरवरी 2014) आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता के संबंध में कहा कि, यद्यपि गुप में अधिक कार्य दबाव और श्रमबल की कमी के कारण इकाई को 2011-12 में लेखापरीक्षा सेवा कर आयुक्तालय के गुप IV को आंबटित किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा निर्धारित समय पर पूरी नहीं की जा सकी थी। इकाई की लेखापरीक्षा शीघ्र ही सेवा कर लेखापरीक्षा दल द्वारा की जाएगी।

हमने पाया कि मंत्रालय का जवाब जनवरी 2010 में की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में मौन था।

### 3.5.8 केबल आपरेटर सेवाओं के अन्तर्गत सेवा कर के कम भुगतान का पता न चलना

1.7.2012 से पहले लागू वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडएस) के अनुसार "करयोग्य सेवा" का तात्पर्य केबल सेवाओं के संबंध में बहु-प्रणाली आपरेटर सहित केबल आपरेटर द्वारा किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली किसी सेवा से है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 67 बताती है कि सेवा कर प्रभार के लिए कर योग्य सेवाओं का मूल्य, केबल आपरेटर द्वारा करयोग्य सेवाओं के लिए प्रभारित सकल राशि होगा और इसमें ऐसी सेवा के प्रावधान से पहले, दौरान या बाद में कर योग्य सेवा के प्रति प्राप्त की गई कोई राशि भी शामिल होगी।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के उप नियम 4ए के अन्तर्गत जहां किसी निर्धारिती ने सेवा कर का अधिक भुगतान किया है, वहां वह अपनी अनुवर्ती देयता के प्रति अधिक भुगतान को समायोजित कर सकता है। तथापि, ऐसे समायोजन की अनुमति उपनियम 4बी की शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में केबल आपरेटर सेवा प्रदान करने वाले मै. इंडियन केबल नेट कम्पनी लिमिटेड ने करयोग्य सेवा के मूल्य, जिसपर सेवा कर को पहले ही सरकार के खाते में जमा किया जा चुका था, से 2009-10 के दौरान निर्धारित निबंधनों को पूरा किए बिना ₹ 433.83 लाख का स्व-समायोजन किया था। ऐसे अनियमित समायोजन के कारण कर योग्य सेवा का कम निर्धारण हुआ तथा परिणामस्वरूप ₹ 44.68 (उपकर सहित) के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो कि लागू ब्याज सहित निर्धारिती से वसूली योग्य था।

*हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (अक्टूबर 2010), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि मांग ब्याज और जुर्माने सहित अधिनिर्णय में पुष्टि की जा चुकी है। मंत्रालय ने आगे बताया कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सभी तीन मंडलों और लेखापरीक्षा शाखा आदि में परिपत्रित किया जा चुका था और अधिकारियों को उपयुक्त रूप से संवेदी बनाया गया था।*

### 3.6 सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल के प्रावधानों की अपर्याप्तता

26 मई 2003 को मुख्य आयुक्तों को परिपत्रित सेवा कर महानिदेशक की कार्ययोजना के अनुसार क्षेत्रीय संरचनाओं के लिए पीएसयूज और निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और उनके पते सहित ऐसे सेवा प्रदाओं के ब्यौरे प्राप्त करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रेंज अधिकारी को पीएसयूज सहित प्रमुख निर्धारितियों से उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करना और कर आधार को विस्तृत करने के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे प्राप्त करने थे। तथापि, सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 में ऐसा कोई अनुरूपी प्रावधान नहीं था जिससे सेवा कर लेखापरीक्षा पार्टियों के लिए ऐसे ब्यौरों को एकत्र करना (निर्धारिती के परिसर में लेखापरीक्षा के दौरान) और उसे संबंधित आयुक्तालय/मंडल/रेंज के आंतरिक लेखापरीक्षा सेल को प्रेषित करना बाध्यकारी बना दिया। निर्धारिती के परिसर में अभिलेखों को जांच के दौरान निम्नलिखित दो मामलों ने इस कमी को उजागर किया।

3.6.1 पटना आयुक्तालय में मै. पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने पटना आयुक्तालय के अन्तर्गत सेवा कर में पंजीकृत छः सेवा प्रदाताओं से बिहार में विभिन्न विद्युत सब स्टेशनों पर चारदीवारी के निर्माण, स्टाफ क्वार्टर के निर्माण, कार्यक्षेत्र को समतल करना और स्लोप सुरक्षा कार्य से संबंधित सेवाएं

प्राप्त की और 2005-06 से 2010-11 (नवम्बर 2010 तक) की अवधि के दौरान ₹ 794.53 लाख का भुगतान किया। ये सेवाएं कार्यक्षेत्र निर्माण सेवा, आवासीय कॉम्प्लेक्स के निर्माण या कार्य ठेका सेवा की श्रेणी के अंतर्गत करयोग्य थी। सत्यापन पर हमने पाया कि छः सेवा प्रदाताओं ने कर योग्य मूल्य पर ₹ 43.18 लाख के बराबर सेवा कर और शिक्षा उपकर का भुगतान नहीं किया था क्योंकि कोई विवरणी नहीं या 'शून्य' विवरणी को अवधि के दौरान इन सेवा प्रदाताओं द्वारा दर्ज पाया गया था।

हमने पाया कि यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा ने जून 2010 में लेखापरीक्षा की थी तथापि इसने इन छः सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवाओं की देयता/प्रावधान को पूरा न करने के ब्यौरों को संबंधित आयुक्तालय/मंडल/रैंज के आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग को नहीं भेजा था।

*हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (दिसम्बर 2010), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2012) और सूचना दी कि सभी छः सेवा प्रदाताओं के संबंध में ₹ 56.18 लाख के लिए कारण बताओ जापन जारी किए गए थे। मंत्रालय ने यह भी सूचना दी कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में प्रावधानों को सम्मिलित करने संबंधी लेखापरीक्षा सिफारिश विचाराधीन हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की गई सेवाओं के ब्यौरों का उल्लेख करने के लिए आवधिक विवरणी में कोई विशेष स्थान नहीं है। इसलिए, विवरणियों की सामान्य संवीक्षा द्वारा भी चूक का पता लगाना संभव नहीं था।*

**3.6.2** इसी प्रकार, सेवा कर 7 जुलाई 1997 से श्रमबल भर्ती या आपूर्ति एजेंसी की सेवा पर उदाग्रहीत किया गया है। सेवा के कार्यक्षेत्र को किसी अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से या अन्यथा श्रमबल की भर्ती या आपूर्ति के लिए किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लिप्त किसी व्यक्ति को कवर करने के लिए 16 जून 2005 से विस्तारित की गई थी। इस प्रकार, श्रमिक वर्ग की आपूर्ति के लिए ठेके को भी सेवा कर के अन्तर्गत कवर किया गया है और श्रमिक वर्ग को उपलब्ध कराने वाले ठेकेदारों को 16 जून 2005 से सेवा कर का भुगतान करना पड़ेगा।

पटना आयुक्तालय में दो निर्धारितियों में निओ कार्बन्स प्रा. लि. और मै. कनिष्क कार्बन्स प्रा. लि. के सेवा कर संबंधित अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती तीन सेवा प्रदाताओं से श्रमबल भर्ती या आपूर्ति एजेंसी सेवाएं प्राप्त कर रहे थे। दोनों निर्धारितियों ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान इन सेवा प्रदाताओं को ₹ 1.31 करोड़ का भुगतान किया था। इन सेवा प्रदाताओं में से किसी को भी विभाग में पंजीकृत नहीं पाया गया था। आयुक्तालय अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान करने के डीजीएसटी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप तीन सेवा प्रदाताओं ने ₹ 13.99 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया जोकि ब्याज और शास्ति सहित वसूलीयोग्य था।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (जुलाई 2009 और मार्च 2012), आयुक्तालय ने कहा (मार्च 2013 और अप्रैल 2013) कि एक सेवा प्रदाता ने ₹ 2.16 लाख जमा कराए थे। इसके अलावा, ब्याज और शास्ति सहित ₹ 12.10 लाख के लिए मांग और कारण बताओं जापन तीन सेवा प्रदाताओं को जारी किया गया था।

हमने पाया कि एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल ने अक्टूबर 2011 में कनिष्क कार्बन्स प्रा. लि. में लेखापरीक्षा की थी लेकिन यह आयुक्तालय या संबंधित सहायक पदाधिकारियों को इन तीन सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा की देयता/प्रावधान के पूरा न होने के बारे में कोई ब्यौरे देने में विफल रहा जो चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने को सरल बनाता।

हमने यह भी देखा कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे सेवा प्रदाताओं की सूची के बारे में आयुक्तालय/मंडल/रेंज को सूचना देने के लिए प्रावधान नहीं हैं; ऐसे प्रावधान का सम्मिलन सेवा प्रदाताओं की पंजीकरण की निगरानी और उनके द्वारा सेवा कर के भुगतान की सुनिश्चितता को सरल बनाएगा।

*मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते समय (फरवरी 2014) सूचना दी कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में प्रावधानों के सम्मिलन से संबंधित लेखापरीक्षा सिफारिश विचाराधीन है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा प्रदाताओं से प्राप्त की गई सेवाओं के ब्यौरों को उल्लेख करने के लिए आवधिक विवरणी में कोई विशेष स्थान नहीं है। इसलिए, विवरणियों की सामान्य संवीक्षा द्वारा भी चूक का पता लगाना संभव नहीं था।*

**सिफारिश:** आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा (लेखापरीक्षित) निर्धारितियों को सेवाएं उपलब्ध कराने वाले ऐसे सेवा प्रदाताओं की सूची के बारे में आयुक्तालय/मंडल/रेंज को सूचना देने की अपेक्षा करने वाले उपयुक्त प्रावधान सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में शामिल किए जाए क्योंकि ऐसे प्रावधानों का सम्मिलन सेवा कर आधार के विस्तारण को सुगम बनाएगा और अधिक राजस्व सुरक्षा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को अननुपालन के लिए उपयुक्त दंड विषयक खण्ड सहित सेवा प्रदाताओं से प्राप्त सेवाओं के ब्यौरों पर जानकारी मंगवाने के लिए एसटी 3 विवरणी में स्थान देने की व्यवहार्यता पर विचार करने की आवश्यकता है, यह विशेष सीमा तक सेवा कर आधार के विस्तारण को सरल बनाएगा।

### 3.7 अनिवार्य इकाईयों के कवरेज के लिए मानकों का अपर्याप्त अनुपालन

सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 का पैरा 5.1.2 बताता है कि वर्ष में ₹ 3 करोड़ या अधिक (नकद+सेनवेट) के सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से की जानी है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निर्देशों के साथ पठित 2003 की पहली मेनुअल में समतुल्य प्रावधान ने अधिदेशित किया कि वर्ष में ₹ 50 लाख या अधिक (नकद+सेनवेट) के सेवा कर का भुगतान करने वाले सेवा

प्रदाताओं की लेखापरीक्षा प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से की जानी थी।<sup>64</sup> तथापि, निर्धारिती के परिसर में सेवा कर अभिलेखों की हमारी जांच के क्रम में हम ऐसी इकाईयां जिसे विभागीय मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा किया जाना अपेक्षित था, यद्यपि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया था में सेवा कर के गैर भुगतान/कम भुगतान के कुछ मामलों का पता लगा सके, इनकी चर्चा नीचे की गई है:

**3.7.1 एसटी । आयुक्तालय, मुम्बई** की आंतरिक लेखापरीक्षा दलों ने 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान 239 इकाईयां (85 श्रेणी क इकाईयां, 93 श्रेणी ख इकाईयां, 52 श्रेणी ग इकाईयां, 9 श्रेणी घ इकाईयां) को कवर किया था। 700 अनिवार्य इकाईयां में से केवल 85 इकाईयां वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा में कवर की गई इसकी तुलना में 154 गैर अनिवार्य इकाईयां लेखापरीक्षा में कवर की गई थी। संचित निधि में प्राप्त न होने वाले सेवा कर और/या ब्याज देय राशि के जोखिम को निम्नलिखित मामलों द्वारा स्पष्ट किया गया है जो निर्धारिती परिसर में अभिलेखों की सीईआरए की जांच के दौरान सामने आए थे।

सेवा कर आयुक्तालय मुम्बई 1 में ऐसी एक अनिवार्य इकाई में. एस्सार इन्वेस्टमेंट लि. के एसटी-3 विवरणियों और दूसरे अभिलेखों की सीईआरए की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती के वर्ष 2011-12 के दौरान कई महीनों में सेवा कर का भुगतान विलम्ब से किया था। सेवा कर के विलम्ब से भुगतान के लिए भुगतान योग्य कुल ब्याज ₹ 1.40 करोड़ था, जबकि निर्धारिती ने केवल ₹ 1.02 करोड़ का भुगतान किया था। ₹ 37.92 लाख की शेष राशि निर्धारिती से वसूल की जानी अपेक्षित थी। यद्यपि, यह इकाईयां 'प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा के लिए अनिवार्य' के अन्तर्गत आती है तथापि 2008 की पश्च अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इसकी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

*हमारे द्वारा बताए जाने के बाद (मार्च 2013), मंत्रालय ने सूचना दी (जनवरी 2014) कि निर्धारिती ने मई 2013 में ₹ 37.92 लाख जमा किए थे। इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि मुम्बई एसटी । आयुक्तालय निर्धारितियों की संख्या और साथ ही राजस्व संग्रहण दोनों के संबंध में देश में सबसे बड़ी है। उपलब्ध स्टाफ के साथ मेनुअल में निर्धारित अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करना सम्भव नहीं है। वास्तविक लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारिती का सामान्यतः 5 वर्षों का डाटा कवर किया जाता है।*

**3.7.2** हमने नागपुर आयुक्तालय द्वारा लेखापरीक्षा के लिए निर्धारितियों के चयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की और पाया कि वर्ष 2010-11 के लिए आयुक्तालय ने अनिवार्य गैर इकाईयां की महत्वपूर्ण संख्या को अलेखापरीक्षित छोड़ते हुए गैर-अनिवार्य इकाईयां की लेखापरीक्षा की जिसे नीचे दर्शाया गया है:

<sup>64</sup> पत्रा.संख्या 381/145/2005 दिनांक 6 जून 2006 के माध्यम से 31 मार्च 2011 तक लागू।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

वार्षिक शुल्क का स्लैब (पीएलए+सेनवेट)	निर्धारित इकाईयों की संख्या	निर्धारित आवृत्ति के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए निश्चित इकाईयों की संख्या	नियोजित इकाईयां	लेखापरीक्षित इकाईयां
₹ 50 लाख से अधिक	102	102	52	10
₹ 25 लाख से ₹ 50 लाख के बीच	60	30	10	6
₹ 10 लाख से ₹ 25 लाख के बीच	88	17	32	30
₹ 10 लाख से कम	2261	44	27	14

यह तालिका दर्शाती है कि केवल 10 अनिवार्य इकाईयां की लेखापरीक्षा की गई थी जबकि लेखापरीक्षित गैर अनिवार्य इकाईयां 50 थी। अनिवार्य इकाईयों की लागत पर गैर अनिवार्य इकाईयों की प्रोग्रैमिंग में जोखिम को सीईआरए द्वारा देखे गए निम्नलिखित मामलों द्वारा दर्शाया गया है।

नागपुर आयुक्तालय में, एक अनिवार्य इकाई में, गोंडवाना इंजीनियर्स प्रा. लि. जिसकी लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्ष द्वारा नहीं की गई थी, के 2011 में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने पाया कि निर्धारित ने सीपीसीएल, चेन्नई के लिए सागर जल विलवणीकरण परियोजना के संबंध में डिजाईन, इंजीनियरिंग, सिविल निर्माण और सामग्री की आपूर्ति की सेवाओं को उपलब्ध कराने के एक मुश्त टर्नकी ठेका के लिए में. इओन एक्सचेंज (इंडिया) लि. मुम्बई के साथ एक करार किया था। निर्धारित ने जून 2007 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान ₹ 645.98 लाख का प्रतिफल प्राप्त किया था लेकिन कम्पनी ने 18.13 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था जोकि ब्याज सहित वसूली योग्य था।

*हमारे द्वारा इसे बताए जाने के बाद (नवम्बर 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार किया (जनवरी 2014) और कहा कि निर्धारित को 21.10 लाख के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मंत्रालय ने आगे सूचना दी कि वि.व. 10 और वि.व. 11 के दौरान सभी सेवा कर निर्धारितियों के संबंध में पूरे डाटा आयुक्तालय की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में उपलब्ध नहीं थे। इसलिए, सभी अनिवार्य इकाईयों की पहचान नहीं की जा सकी थी। आंतरिक लेखापरीक्षा की सीमा में सभी अनिवार्य और प्रमुख सेवा कर दाताओं को कवर करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जा रहे थे।*

### 3.7.3 आंतरिक लेखापरीक्षा न करने के कारण राजस्व प्राप्ति में विलम्ब

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67(3) बताती है कि करयोग्य सेवा के लिए प्रभारित सकल राशि में ऐसे सेवा के प्रावधान के पहले, दौरान या बाद की करयोग्य सेवा के प्रति प्राप्त की गई कोई राशि शामिल होगी। अधिनियम की धारा 75 बताती है कि जिसने

किसी सेवा कर या उसके भाग का अनुबंधित अवधि में भुगतान नहीं किया है, कर भुगतान का दायी वह व्यक्ति निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय ने मै. सिमेन्स वीएआई मेटल्स टेक्नोलोजिज लि. ने 2008-09 से 2010-11 के दौरान कई ठेकों के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं के प्रतिपादन के लिए ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त किया था। इसके आगे संवीक्षा ने बताया कि इन अग्रिमों की राशि का रनिंग अकाउंट (आरए) बिल्स के माध्यम से बाद में समायोजित किया गया था और सेवा कर का भुगतान अग्रिम प्राप्ति के समय पर भुगतान की बजाय आरए बिलों की उगाही के समय किया गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ अग्रिम थे जोकि समायोजन के लिए लम्बित थे और जिसके संबंध में सेवा कर का भुगतान अभी किया जाना था। अग्रिम प्राप्ति पर सेवा कर के भुगतान में विफलता के परिणामस्वरूप कुल असमायोजित राशि पर ₹ 159.51 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ; जिसे ₹ 51.85 लाख के ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किया जाना था। निर्धारिती समायोजित राशि पर सेवा कर के विलम्ब से भुगतान के लिए ₹ 6.72 लाख के ब्याज भुगतान का भी दायी था।

लेखापरीक्षा के लिए इकाईयों के चयन हेतु मानकों के अनुसार (कवर की गई अवधि के दौरान लागू) सेवा कर के प्रति ₹ 50.00 लाख (नकद सहित सेनवेट) से अधिक का भुगतान करने वाली इकाईयों की लेखापरीक्षा प्रति वर्ष की जानी थी। हमने पाया कि 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान निर्धारिती द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की राशि क्रमशः ₹ 4.08 करोड़, ₹ 2.55 करोड़ और ₹ 8.20 करोड़ थी। तथापि, उक्त वर्षों में से किसी के भी दौरान इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन न करने के परिणामस्वरूप सरकार को देय महत्वपूर्ण राजस्व विचारणीय अवधि के लिए सरकारी खाते से बाहर रहा।

*लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते और ₹ 226.55 लाख की वसूली (ब्याज सहित) की सूचना देते समय मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2014) कि सेवा कर आयुक्तालय कोलकाता में निर्धारितियों की कुल संख्या बहुत अधिक थी और आंतरिक लेखापरीक्षा में तैनात अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त थी। हालांकि, 2008-09 से 2011-12 की अवधि की आंतरिक लेखापरीक्षा मई 2013 में की गई।*

### **3.7.4 निर्माण, कमिश्निंग अथवा स्थापन सेवाओं पर सेवा कर का गैर-भुगतान**

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 68 यथा संशोधित के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के अनुसार, सेवा कर का केंद्र सरकार के खाते में महीने के छठवें दिन तक भुगतान किया जाएगा, यदि शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता है तथा महीने की पाँचवे दिन किसी अन्य मामले में, तत्काल आगामी कैलेण्डर माह में किया जाएगा, जिसमें भुगतान प्राप्त किया गया हो। धारा 73 के अनुसार जहाँ किसी सेवा

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

कर का उद्ग्रहण या भुगतान किया गया हो या कम उद्ग्रहण अथवा कम भुगतान किया गया हो, केंद्रीय उत्पाद अधिकारी संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा कर प्रभारित किए जाने वाले व्यक्ति, जिससे उद्ग्रहण या भुगतान नहीं किया गया हो अथवा कम उद्ग्रहण किया गया हो, से यह कारण बताने के लिए कि क्यों उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान नहीं करना चाहिए, को नोटिस जारी करें।<sup>65</sup>

कालीकट आयुक्तालय में एक निर्धारिती में. वेल इरेक्टर्स ऑफ न्यू इंजीनियरिंग ने 1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2011 तक की अवधि के दौरान संग्रहीत ₹ 36.26 करोड़ (कर सहित) पर ₹ 3.36 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। देय सेवा कर पर ब्याज ₹ 99.94 लाख (31 मार्च 2012 तक) था। चूँकि निर्धारिती ने इनपुट्स पर अदा शुल्क का क्रेडिट लिया था, यह करयोग्य सेवा के मूल्य से 67 प्रतिशत छूट का पात्र नहीं था। इस दौरान निर्धारिती ने विवरणियाँ भी दाखिल नहीं की थीं। मंडल/रैंज ने वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 के अंतर्गत निर्धारिती के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2012), मंत्रालय ने कहा (अप्रैल 2013) कि चूँकि निर्धारिती ने सीईआरए को एक बैंक खाता के विवरण का खुलासा नहीं किया था इसलिए करयोग्य मूल्य में ₹ 58.17 लाख की वृद्धि हुई। तदनुसार आयुक्तालय ने सेवा कर देयता को दुबारा देखा था और बताया कि जनवरी 2009 से सितम्बर 2012 की अवधि के लिए कुल सेवा कर देयता में से निर्धारिती ने 1 जनवरी 2009 से 30 सितम्बर 2009 की अवधि के लिए ₹ 109.28 लाख का भुगतान किया। जिसमें से ₹ 10.51 लाख का भुगतान अभिलेखों की सीईआरए की जाँच से पहले किया गया। आयुक्तालय ने आगे यह भी कहा कि अक्टूबर 2009 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान संग्रहीत ₹ 24.02 करोड़ के करयोग्य मूल्य पर ₹ 2.48 करोड़ की वसूली नहीं गयी सेवा कर देयता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था।

हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु आवर्ती मानकों के अनुसार, यह इकाई वर्ष 2009-10 के लिए अनिवार्य श्रेणी में आती है और इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा की जानी थी। हालांकि इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी जिसके कारण सीईआरए द्वारा बताए जाने तक इस अपवंचन का पता नहीं लग सका।

मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति मान लिया कि (मार्च 2014) 1 जनवरी 2009 से 30 सितम्बर 2013 की अवधि के लिए ₹ 4.11 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 मार्च 2014 को जारी कर दिया गया है। हालांकि निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा न करने पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

<sup>65</sup> वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा 28 मई 2012 से “एक वर्ष” की जगह “अठारह महीने”।



### 3.7.5 ड्रेजिंग सेवाओं के तहत सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105)(जेडजेडजेडबी) (जैसा 1.7.2012 से पूर्व लागू था) के तहत ड्रेजिंग के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली कोई सेवा करयोग्य सेवा है।

सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 में प्रावधान है कि सेवा कर का भुगतान आगामी माह जिसमें करयोग्य सेवाओं के मूल्य के प्रति भुगतान प्राप्त किए जाते हैं; की 6<sup>वीं</sup>/5<sup>वीं</sup> तारीख को किया जाए, जैसा भी मामला हो।

इसके अलावा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर केंद्र सरकार के खाते में कर या इसका कोई भाग जमा करने में विफल व्यक्ति को उस अवधि के लिए निर्धारित दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा जिसके लिए ऐसे कर या उसका कोई भाग जमा करने में विलम्ब हुआ हो।

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में मै. मैकिंटोश लिमिटेड ने 'बेहतर ड्रेनेज और बाढ़ प्रबंधन हेतु इकामती नदी से बालू निकालने' के लिए अगस्त 2010 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करने पर ₹ 2457.18 लाख प्राप्त किया। इस शीर्ष के तहत प्रदत्त सेवाएं ड्रेजिंग सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य थीं और निर्धारिती से उपरोक्त अवधि के दौरान ₹ 2457.18 लाख की कुल प्राप्ति पर ₹ 253.09 लाख (उपकर सहित) के सेवा कर का भुगतान देय था। हालांकि, निर्धारिती ने केवल ₹ 31.77 लाख (उपकर सहित) की सेवा कर देयता का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 221.32 लाख (उपकर सहित सेवा कर) का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज सहित निर्धारिती से वसूल किया जाना था।

*जब हमने इसे बताया (अक्टूबर, 2011), मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि उठाई गई मांग की ब्याज और जुर्माना सहित अधिनिर्णय में पुष्टि कर दी गई थी और आयुक्तालय ने ₹ 31.77 लाख (उपकर सहित) पहले ही समायोजित कर लिया था जिसका निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि आयुक्तालय में निर्धारितियों की संख्या बहुत अधिक है। इसके बावजूद आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों द्वारा महानिदेशक, लेखापरीक्षा के विभिन्न जोनल अधिकारियों द्वारा चयनित बहु-स्थानिक सेवाप्रदाताओं के साथ-साथ/समंवित्र सेवा कर लेखापरीक्षा की जानी और संबंधित एलटीयू आयुक्तालय से प्राधिकरण के अनुसार एलटीयू निर्धारितियों की भी लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। यह भी कहा गया कि उक्त कारणों से सेवा कर लेखापरीक्षा मैन्युअल, 2011 में निर्धारित मानकों के अनुरूप अपेक्षित सभी श्रेणी 'क' लेखापरीक्षाएं करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का मौजूदा श्रमबल पर्याप्त नहीं है।*

### 3.7.6 कारोबार सहायक सेवा के तहत सेवा कर का गैर-भुगतान

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में कार्य ठेका सेवाओं, वाणिज्यिक या औद्योगिक विनिर्माण सेवाओं, निर्माण, चालू करने और स्थान सेवा आदि प्रदान करने वाली मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, पावर सेक्टर ईस्टर्न रीजन, की लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने अपने ग्राहकों के कारोबार और वाणिज्य में सहायता हेतु सेवायें देने के लिए 'संबंधित इकाईयों को सेवा प्रभार', 'संबंधित इकाईयों के स्टील विचलन पर उपरिव्यय प्रभारों', निविदा मूल्य, 'अतिथि गृह' प्रभारों आदि शीर्ष के तहत 2010-11 के दौरान ₹ 126.53 लाख का संग्रहण किया था। यद्यपि इस तरह की गतिविधियां कारोबार सहायता सेवाओं के तहत आती हैं, निर्धारिती ने इन मदों पर कारोबार सहायता सेवाओं से संबंधित ₹ 13.03 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। निर्धारिती द्वारा ऐसे सेवा कर के गैर-भुगतान के लिए उल्लिखित अधिनियम की धारा 75 के तहत लागू ब्याज का भुगतान भी देय था।

*जब हमने इसे बताया (जुलाई 2011), मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि उठाई गई मांग की ब्याज और जुर्माने के साथ अधिनिर्णयन में पुष्टि हो गयी थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि आयुक्तालय में निर्धारितियों की कुल संख्या बहुत अधिक है। इसके बावजूद, आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के अधिकारियों द्वारा महानिदेशक, लेखापरीक्षा के विभिन्न जोनल अधिकारियों द्वारा चयनित बहुस्थानिक सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ/संभावित सेवा कर लेखापरीक्षा की जानी और संबंधित एलटीयू आयुक्तालय से प्राधिकरण के अनुसार एलटीयू निर्धारितियों की भी लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। यह भी कहा गया कि सेवा कर लेखापरीक्षा मेनुअल, 2011 में निर्धारित मानकों के अनुसार अभी सभी श्रेणी ए लेखापरीक्षाएं करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का मौजूदा श्रमबल पर्याप्त नहीं है।*

### 3.7.7 पूँजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का गैर-उत्क्रमण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि पूँजीगत माल जिस पर क्रेडिट लिया गया हो, को आउटपुट सेवाओं के प्रदाताओं के परिसर से किसी भी तरह हटा दिया जाता है तो ऐसे पूँजीगत माल के संबंध में आउटपुट सेवा प्रदाताओं को लिए गए क्रेडिट के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा। इसके अलावा नियमित रूप से ली गई सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के तहत ब्याज सहित वसूली योग्य है।<sup>66</sup>

कोलकाता सेवा कर आयुक्तालय में, टेलीकम्युनिकेशन, व्यापार सहायक सेवाएं, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी सेवाएं आदि प्रदान करने वाली मै. वोडाफोन एस्सार साउथ लिमिटेड ने 2009-10 की अवधि के दौरान मै. वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, मुंबई को ₹ 1282.99 लाख

<sup>66</sup> सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 14 के पूर्व 17.3.2012 से संशोधित की जाने की स्थिति।

मूल्य का पूँजीगत माल बेचा। निर्धारिती ने इस पर पहले ही सेनवेट क्रेडिट ले लिया था। हालांकि निर्धारिती ने उपरोक्त सांविधिक प्रावधान के अनुसार आवश्यक होने के बावजूद भी बेचे गए माल के संबंध में ₹ 167.26 लाख (उपकर सहित) की सेनवेट के बराबर की राशि का भुगतान नहीं किया। ₹ 167.26 लाख (उपकर सहित) का गैर उत्क्रमित सेनवेट क्रेडिट ब्याज सहित वसूली योग्य था।

*जब हमने इसे बताया (जून 2011), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति मान ली (जनवरी 2014) और ब्याज तथा जुर्माने के बराबर की धनराशि के साथ ₹ 167.26 लाख (उपकर सहित) की मांग की पुष्टि की। मंत्रालय ने आगे बताया कि निर्धारितियों की कुल संख्या की तुलना में श्रमबल की कमी के कारण सभी अनिवार्य इकाईयों की लेखापरीक्षा करना संभव नहीं है।*

हमने देखा कि पैरा 3.7 के तहत लेखापरीक्षा आपत्तियां और मंत्रालय का उत्तर इस रिपोर्ट के पैरा 1.18 और 1.19 में लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करते हैं कि विस्तृत संवीक्षा की कम प्रतिशतता के साथ जुड़ी उच्च राजस्व इकाईयों को शामिल करने में भारी कमी मजबूत अनुपालन सत्यापन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं।<sup>67</sup>

**3.8 विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा:** रेंजो में एसटी-3 विवरणियों की जांच करते समय हमने एक मामले में देखा कि प्राधिकरणों की नोटिस से कर का भुगतान करने की जिम्मेदारी से बच जाना विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण था।

### **3.8.1 सेवा कर का कम भुगतान**

सेवा कर विवरणी की संवीक्षा की मेनुअल, 2009 में सेवा कर विवरणी की प्राथमिक और विस्तृत संवीक्षा के लिए प्रावधान हैं। सेवा कर विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की जांच मेनुअल के अध्याय 2 में दिए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ देय कर और भुगतान किए गए कर में किसी कमी का पता लगाने के लिए विवरणी की अंकगणितीय सटीकता की जांच भी शामिल है। सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 6(1) के अनुसार, महीने के 6वें दिन तक केंद्र सरकार के क्रेडिट में सेवा कर कर का भुगतान किया जाएगा, यदि शुल्क इलेक्ट्रॉनिकली जमा किया जाता है तथा महीने के 5वें दिन तक, अन्य किसी मामले में आगे आने वाले तात्कालिक माह में जिसमें सेवा प्रदान किया जाना संभावित हो। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के अनुसार यदि निर्धारिती ने वास्तविक तथ्यों का पूर्णतः खुलासा कर दिया है तो 'संबंधित तिथि' से अठारह महीनों के भीतर एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। तथ्यों को छुपाने, जानबूझकर गलत विवरण देने, धोखाधड़ी या मिलीभगत के मामले में 'संबंधित तिथि' से पांच वर्षों के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

<sup>67</sup> 2013 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 17, पैरा सं. 1.88, पृष्ठ 27 में पूर्व में उठाये गए मुद्दे।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

गुवाहाटी आयुक्तालय के ईटानगर सेवा कर मंडल में ईटानगर रेंज के सेवा कर अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012 की अवधि के लिए तीन निर्धारितियों यथा मै. अरूणांचल कार्बन इंडस्ट्रीज़, मै. जे.के. एसोसिएट्स और मै. सत्यम इस्पात नार्थ ईस्ट लिमिटेड से कुल ₹ 134.40 लाख सेवा कर वसूल किया जाना था। हालांकि केवल ₹ 4.69 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹ 134.40 लाख की राशि का अभी भी भुगतान किया जाना था जो ब्याज सहित वसूलीयोग्य है। जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2012), आयुक्तालय ने तीन मामलों से संबंधित ₹ 138.65 लाख की वसूली की सूचना दी (जनवरी 2014)। हालांकि मै. अरूणांचल कार्बन इंडस्ट्रीज़ और मै. सत्यम इस्पात एनई लिमिटेड के संबंध में ब्याज की वसूली अभी भी लंबित है।

हमने यह भी देखा कि रेंज में प्राधिकारी विवरणियों की मैनुअली संवीक्षा करते थे, वे सेवा कर के कम भुगतान का पता लगाने में विफल रहे। विवरणियों की अनुचित संवीक्षा के कारण सेवा कर के कम भुगतान अधिकारियों की नजर से बच गए। हमने देखा कि ये सभी विवरणी एसीईएस विवरणी थे और मौजूदा निर्देशों के अनुसार एक बार एसीईएस माड्यूल के परिचालित होने पर एसीईसी के माध्यम से सभी विवरणियों की संवीक्षा (प्रारंभिक) की जानी चाहिए। इन मामलों में, हमने देखा कि मैनुअल संवीक्षा में चूकों के अलावा एसीईसी भी दाखिल किए गए विवरणी में कमियां ढूढने में विफल रहा या समीक्षा और सुधार हेतु एसीईसी द्वारा चिन्हित किए जाने पर भी इस आधार पर रेंज द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

*लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए (फरवरी 2014) मंत्रालय ने बताया कि वसूल किए गए सेवा कर के साथ ब्याज के प्रति ₹ 30.79 लाख की वसूली की गई थी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि चूँकि ईटानगर मंडल के पास एसीईसी सुविधा नहीं है, एसटी विवरणी की मैनुअली समीक्षा की जाती है। विवरणियों की समुचित संवीक्षा करने के लिए रेंज के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।*

### **3.9 अन्य मामले**

#### **3.9.1 कारण बताओ नोटिस जारी करने में अत्याधिक विलम्ब**

वित्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा 73(1) के अनुसार जहां किसी सेवा कर की वसूली या भुगतान नहीं किया गया था, केंद्रीय उत्पाद अधिकारी संबंधित तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवा कर प्रभारित व्यक्ति से यह पूछते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करे कि उसे नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान क्यों नहीं करना चाहिए। जहां धोखाधड़ी

के द्वारा किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया हो, इस उपधारा के प्रावधान लागू होंगे जहां तक शब्द 'एक वर्ष' के स्थान पर शब्द 'पांच वर्ष' कर दिया गया था।<sup>68</sup>

वित्त अधिनियम, की धारा 70 के साथ पठित सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 7(1) और 7(सी) में परिकल्पना है कि सेवा कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा दी गई सेवाओं पर बकाया कर का स्वयं निर्धारण करना होगा तथा उस विशेष आगामी छमाही के महीने की 25वीं तारीख तक फार्म एसटी 3 में छमाही विवरणी केंद्रीय उत्पाद अधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। विलम्बित विवरणी प्रस्तुत करने के मामले में बीस हजार से अधिक नहीं के विलम्ब शुल्क का भुगतान किया जाए।

सेवा कर विवरणी की संवीक्षा मेनुअल, 2009 में रेंज अधिकारी द्वारा सभी विवरणी (खण्ड 1.2 बी) की प्राथमिक संवीक्षा करने का प्रावधान है। खण्ड 1.2.1(ई) के अनुसार, इस संवीक्षा का उद्देश्य विवरणी दाखिल न करने वाले और विवरणी दाखिल करना बन्द कर चुके निर्धारितियों की पहचान करना भी है।

कोचीन आयुक्तालय में एक केंद्रीय उत्पाद निर्धारिती, मै. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड ने दो ठेकेदारों यथा मै. जे एण्ड एस कंस्ट्रक्शन्स, कलमासेरी और श्री एम.के. शाहनवाज, वट्टेकुनम को दिए गए ₹ 118.28 लाख के भुगतान पर वर्ष 2008-09 के दौरान ₹ 14.62 लाख राशि का सेनवेट क्रेडिट लिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, कलमासेरी में सत्यापन से पता चला कि मै. जे एण्ड एस कंस्ट्रक्शन द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या का पता नहीं लग रहा था और श्री एम.के. शाहनवाज ने वर्ष 2006-07 से विवरणी नहीं दाखिल की थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, कलमासेरी के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा (जुलाई 2012) कि वर्ष 2008-09 के दौरान मै. एचएमटी से संग्रहीत ₹ 14.62 लाख के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए दो ठेकेदारों से आयुक्तालय द्वारा मांग नहीं जारी की गई। जुलाई 2012 में मै. एचएमटी की अनुवर्ती लेखापरीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान दो ठेकेदारों को किए कर के भुगतान पर ₹ 39.64 लाख के उपयोग किए गए सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था।

हमने इसे तीन बार बताया (एक बार मार्च 2010 में और दो बार जुलाई 2012 में) लेकिन आयुक्तालय द्वारा कोई ठोस सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि वर्ष 2008-09 के दौरान मै. एचएमटी लिमिटेड से संग्रहीत ₹ 14.62 लाख के सेवा कर का गैर भुगतान मार्च 2010 में आयुक्तालय को बताए जाने के बाद भी कारण बताओ नोटिस नहीं जारी किए गए थे। चूँकि, एक ठेकेदार ने 2006-07 से विवरणी फाइल करना बन्द कर दिया था और अन्य के पंजीकरण विवरण का पता नहीं चल पा रहा था, ऐसे मामले पहले की अवधियों में भी हो सकते हैं। रेंज के स्तर पर कार्रवाई न करने और उच्च प्राधिकारियों द्वारा

<sup>68</sup> वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा दिनांक 28.5.2012 से 'एक वर्ष' के स्थान पर 'अठारह माह' कर दिया गया था।

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

अपर्याप्त मानिट्रिंग के कारण 2007 से पूर्व की मांगों का प्रतिपादन कालातीत हो गया। इस चूक के कारण और सरकार के खाते में भुगतान किये बिना ठेकेदारों द्वारा इसका अवधारण हुआ। मै. एचएमटी से 2009-10 से 2011-12 की अवधि के दौरान सेवा कर के रूप में ₹ 39.64 लाख की अतिरिक्त राशि का संग्रहण प्रभावित हुआ।

*जब हमने दिसम्बर 2012 में इसे दुबारा बताया तब ही मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2014) कि श्री शाहनवाज ने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए जुर्माने और ब्याज सहित ₹28.89 लाख का भुगतान कर दिया है और ₹2.66 लाख की शेष धनराशि के लिए इसने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था। मंत्रालय ने यह भी बताया कि मै. जे एण्ड एस कस्ट्रक्शन ने न तो सेवा कर का भुगतान किया था और न ही विवरणी दाखिल किया था और इसने 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए सेवा कर के रूप में ₹40.44 लाख की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी करने में विलम्ब ठेकेदारों से वांछित दस्तावेज/अभिलेख की गैर-प्राप्ति के कारण था। इसके बाद मै. एचएमटी लिमिटेड से विवरण जुटाने के लिए कार्रवाई की गई थी।*

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। मंडल/रैंज को मै. एचएमटी लिमिटेड के माध्यम से पहले ही विवरण जुटाना चाहिए था जब इसने देखा कि दो ठेकेदारों को 22 जून 2010 को भेजे गए अपने पत्र के जवाब में कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। ठेकेदार 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान नियमित आधार पर मै. एचएमटी को सेवार्य दे रहे थे। इसके अतिरिक्त, मै. एचएमटी से सरकारी क्रेडिट खाते में दो ठेकेदारों द्वारा देय धनराशि वसूल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 87(बी)(i) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। कारण बताओ नोटिस जारी करने में देरी वर्ष 2007-08 से पूर्व किसी मांग के कालातीत होने का कारण भी है।

### **3.9.2 आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा को समयपूर्व बंद करने के कारण सेवा कर की गैर-वसूली**


2008-09 की अवधि के लिए सेवा कर आयुक्तालय, दिल्ली के आंतरिक लेखापरीक्षा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा ने 2005-06 से 2007-08 की अवधि के लिए दिसम्बर 2008 में गुड़गांव स्थित एक निर्धारिती मै. टुडे होटल्स प्रा. लिमिटेड की लेखापरीक्षा की थी। चूँकि आंतरिक लेखापरीक्षा ने कारोबार समर्थित और इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी सेवाओं के तहत ₹ 87.16 लाख के सेवा कर का कम भुगतान देखा था, इसे कम भुगतान किए गए सेवा कर की अनुवर्ती वसूली के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (आईएआर) में शामिल किया गया था। आयुक्तालय ने 30 जून 2009 तक ₹ 73.22 लाख की वसूली की और यह दर्ज करते हुए कि फाईल पर कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी,

2014 की प्रतिवेदन सं. 6 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

₹ 13.94 लाख की शेष वसूली के बिना ही 14 जुलाई 2009 को आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट बन्द कर दी गयी थी।


जब हमने इसे बताया (सितम्बर 2011), मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2014) कि ₹ 14.57 लाख के ब्याज सहित शेष राशि की वसूली कर ली गई थी। मंत्रालय के उत्तर में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि पूरी वसूली किए बिना आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्यों बन्द कर दी गई थी।

नई दिल्ली  
दिनांक: 9 अप्रैल 2014

  
(अनिम चेरियन)  
प्रधान निदेशक (सेवा कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 9 अप्रैल 2014

  
(शशि कान्त शर्मा)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक